कार्यालय-प्रवर्तन अनुभाग
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

पत्रांक:- N.F.S/VC/30/14-15 दिनांक:- 28/3/17

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा मे,

श्री राजकुमार,
डायरेक्टर–एच0आर0सी0 होलीजोन इन्फास्ट्रक्चर प्रा0लि0
खसरा संख्या–101 एवं 102, मौजा कलवारी,
बिचपुरी रोड, शाहगज–बाई, आगरा

विषयः–वाद संख्या–N.F.S/V.C./30/2014-15 की शमन धनराशि जमा कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त वाद विषयक आपके शमन प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.05.2017 के क्रम में सूचित किया जाता है कि आप द्वारा खसरा सं0–101 व 102, मौजा कलवारी, बिचपुरी रोड, शाहगज–बाई, आगरा पर प्रस्तुत शमन मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न प्रतिबन्ध/शर्तों के साथ दि0 28.03.17 को शमन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

प्रतिबन्ध/शर्तें :–

1. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद–विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
2. भूखण्ड के खुले भाग पर नियमानुसार वृक्ष लगाने अनिवार्य होंगे।
3. मानचित्र स्वीकृति के समय अंकित प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे, यदि किसी कारण से स्वीकृत मानचित्र अस्वीकृत किया जाता है, तो दी गयी शमन स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4. स्थल का उपयोग शमन मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा, अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा तथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।
5. अग्नि–शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थल पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्रियाशील करने के उपरान्त ही उसके मद में मानचित्र स्वीकृति के समय प्राधिकरण में जमा धनराशि को अवमुक्त किया जा सकेगा।
7. भवन का उपयोग करने से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
8. नियम–5.2 के अन्तर्गत आरोपित शमन शुल्क तथा नियम–07 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर किये गये व्यय की वसूली उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–40 के अन्तर्गत की जायेगी।
9. निर्माणकर्ता द्वारा बिन्दु संख्या–07 के तहत कार्यवाही न करने पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत किसी भी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है, जिसके लिये निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी रहेगा तथा प्राधिकरण अशमनीय निर्माण को ध्वस्त करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा, जिसका हर्जा–खर्चा निर्माणकर्ता स्वयं वहन करेगा।
10. निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं ध्वस्त किये गये भाग से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी संलग्न भवन अथवा जन को कोई हॉनि पंहुचती है, तो निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. निर्माणकर्ता को नियमानुसार बेसमेन्ट में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
12. आरोपित शमन धनराशि निर्धारित समय में प्राधिकरण कोश में जमा करानी होगी, अन्यथा की स्थिति में दण्ड ब्याज 18% की दर से देय होगा।
13. मानचित्र निर्गत करने से पूर्व भवन निर्माण के लागत की 1% धनराशि लेबर सेस के रूप में जमा कराकर उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर आगणित कुल शमन धनराशि **रू0 23,25,000/– (रूपये तेईस लाख, पच्चीस हजार मात्र)** प्राधिकरण कोष में जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि शमन सम्बन्धी शेष कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जा सके।

भवदीय,

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन)

Scanned by CamScanner